

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगपुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :-23/2021 (2021/37)

दर्ज दिनांक 27.01.2021

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

शीर्षक

1. गोपीलाल पिता श्रीराम जाट निवासी डेलाणा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा।
2. छोगालाल पिता श्रीराम जाट निवासी डेलाणा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा।
3. बद्रीलाल पिता श्रीराम जाट निवासी डेलाणा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा।
4. रतनलाल गोद पिता लेहरूलाल जाट निवासी डेलाणा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा।

--प्रार्थीगण

बनाम

1. धनराज पिता भूरा जाट निवासी डेलाणा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा।
2. नाहरमल पिता भूरा जाट निवासी डेलाणा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा।
3. सुरेश पिता जीवराज जाट निवासी डेलाणा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा।
4. भैरूलाल पिता प्यारचन्द जाट निवासी डेलाणा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा।
5. श्रीमती बदामी पत्नी जीवराज जाट निवासी डेलाणा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा।
6. हीरालाल पिता गुलाब जाट निवासी डेलाणा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा।
7. उदयराम पिता मांगीलाल जाट निवासी डेलाणा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा।
8. गिरधारीसिंह पिता शंभूसिंह राजपूत निवासी डेलाणा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा।
9. शिवसिंह पिता गोविन्दसिंह राजपूत निवासी डेलाणा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा।
10. गोविन्द पिता नानूराम माली निवासी डेलाणा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा।
11. रामेश्वर पिता नानूराम माली निवासी डेलाणा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा।

--विपक्षीगण

उपस्थिति- अधिवक्ता प्रार्थीगण:- श्री मुकेश कुमार चौधरी

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय

दिनांक:-02.03.2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर ग्राम डेलाणा पटवार हल्का डेलाणा तहसील सहाड़ा में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2740 रकबा 7.75 हे0, आराजी संख्या 807 रकबा 5.60 हे0, आराजी संख्या 808 रकबा 0.60 हे0 कुल किता 03 कुल रकबा 13.95 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 352 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 संलग्न हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 11 बावजूद सूचना के स्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना गया।




उप खण्ड अधिकारी
गंगपुर जिला भीलवाडा

बाद सुनवाई मैंने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के खातेदार को अपनी सीमा का ज्ञान होना व पत्थरगढ़ी कराने का अधिकार है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम डेलाणा पटवार हल्का डेलाणा तहसील सहाड़ा में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2740 रकबा 7.75 हे0, आराजी संख्या 807 रकबा 5.60 हे0, आराजी संख्या 808 रकबा 0.60 हे0 कुल किता 03 कुल रकबा 13.95 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 352 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढ़ी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता है तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें। प्रार्थीगण बतौर पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 3450/- (तीन हजार चार सौ पचास रु. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढ़ी की कमिश्नर फीस राशि 3450/- (तीन हजार चार सौ पचास रु. मात्र) सम्बन्धित भु-अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीगण अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(विकास पंचोली)

उप सचिव अधिकारी
गंगापुर (सीलवाड़ा) 2.
गंगापुर जिला सीलवाड़ा